

19/12/2019
19/12/19

→ फावली पैदा हुई। वकील/वाप
उपस्थित। वकील वापी ने प्राप्त विभाजन
पर बहस करनी चाहिए। वकील वापी की
बहस सुनी जाती। बहस के दौरान वकील
वापी ने प्राप्त विभाजन स्कीम के अन्तर्गत
वापस को स्वीकार करने की इच्छा
की।

ने फावली का अन्वेषण किया
तथा प्राप्त विभाजन स्कीम की बहस पर भन्ना
लेना गया। अतः प्राप्त विभाजन के अन्तर्गत
वापी का वापस स्वीकार किया जाकर डिस्ट्रिक्ट
बहस वापी विरुद्ध परिवारी लॉ के इस आदेश
की जाती की जाती है। यह आदेश पल्लपुर
तहसील च जिला सीकरा के स्थित जिला

तहासक कलकत्ता
भीलवाड़ा

भारतियत पिताजन भद्रवार वापी एग प्रतियाफी सं. 1 के नाम एक हिते भद्रवार राजस्व रेजाई मे दर्ज करि जाने का कोषेवा (पिता) जाता है, उही भद्रवार वापी वापी एग प्रतियाफी सं. 1 के नाम दर्ज करि जावे।

1. श्री गौहनलाल पिता बीता देगार उग्र बालिकानिठ देवपुरा तहसील भासीन हिता भीलवाडा वापी के नाम निम्न ग्रामि एक व हिते भद्रवार राजस्व रेजाई मे दर्ज करि जावे।

भारती सं.	रकबा	समान
7142/1	0.13	—
7143/1	00. 7. 10	—

कुल हित 2 कुल रकबा 1 बीघा 6 पित्ता 10 पित्तामी

2. श्री प्रभारचन्द पिता मन्दा बन्दा उग्र बालिकानिठ भंतालेपुरा, पुर तहसील व हिता भीलवाडा प्रतियाफी सं. 1 के नाम निम्न ग्रामि एक व हिते भद्रवार राजस्व रेजाई मे दर्ज करि जावे।

भारती सं.	रकबा	समान
7142	0.13	—
7143	00. 7. 10	—

कुल हित 2 कुल रकबा 1 बीघा 6 पित्ता 10 पित्तामी

उक्तानुसार भूमी वापी एग प्रतियाफी सं. 1 के नाम राजस्व रेजाई मे दर्ज करि जावे। अर्चा पारिकेन अपना - अपना वहन करे। तदनुसार डिस्ट्री जारी हो।

पञ्जाबी कैफाल शुतार की जकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

